

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

कमांक/रीडर/2024/257/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 257/2024 सीताराम पिता देवी मीणा निवासी खोहरा खुर्द बनाम कौशलया देवी पत्नि राकेश मीणा निवासी खोहरा, गीता देवी पत्नि राकेश मीणा निवासी खोहरा, जोधसिंह पिता रामकरण मीणा निवासी विजेठी, प्रमूलाल पिता रामकुंवार मीणा निवासी भाव का गुडा, पोखर पिता सुखा मीणा निवासी खोहरा, महिमा पुत्री प्रहलाद जरिये संरक्षिका माता गीता देवी निवासी खोहरा, रामराज पिता भूरालाल मीणा निवासी भाव का गुडा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम खोहरा खुर्द प.ह. बिलेठा आराजी सं. 283 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सीताराम पिता देवी मीणा निवासी खोहरा खुर्द

बनाम

कौशलया देवी पत्नि राकेश मीणा निवासी खोहरा दगैरछ

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 257/24
~~67/67/2024~~

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नंबर व तारीख
अहकाम जो हुकम
की तारीख में
जारी हूँ

01/05/2024

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम खोहरा खुर्द प.ह. विलेठा आराजी सं. 283 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम खोहरा खुर्द प.ह. विलेठा आराजी सं. 283 कुल किता 01 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु मू-अमिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी